EDS → Essential detail sought.

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: [illegible]
Email: (Env.) [illegible] (Forest) [illegible]

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/12/2015/एफ.सी./133

दिनांक 11-5-15

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-719 (719 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-92) के किमी० 59.900 से 69.850 तक (एस०एस०पी० चौराहा से यमुना पुल तक) सड़क चौड़ीकरण हेतु 7.7285 है० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति के प्रस्ताव के संबंध में।

सन्दर्भ : विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 1008/14-2-2015-800(43)/2015, दिनांक- 30.04.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में कुछ त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. पृष्ठ संख्या-4 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना से सृजित होने वाले रोजगार का उल्लेख नहीं किया गया है।
2. पृष्ठ संख्या-8 के भाग-11 में वानस्पतिक घनत्व सही नहीं दिया गया है।
3. बिन्दु-2 के अनुसार एन०पी०वी० की गणना में संशोधन की आवश्यकता है।
4. पृष्ठ संख्या-9 के कॉलम-12 में उल्लंघन से संबंधित किसी सूचना का उल्लेख नहीं किया गया है।
5. प्रस्ताव में प्रदत्त कई प्रकार की वचनबद्धता प्रमाण पत्र में प्रयोक्ता अभिकरण की मुहर एवं दिनांक उल्लिखित नहीं है। प्रस्ताव में प्रदत्त सभी वचनबद्धता प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत करें।
6. पृष्ठ संख्या-14 में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अधूरी स्थल निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी है।
7. पृष्ठ संख्या-20 पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं प्रस्तुत किया गया है।
8. पृष्ठ संख्या-23 से 33 तक संलग्न पातन होने वाले वृक्षों की सूची में अधिकतम वृक्ष 0 से 30 सेमी० व्यास वर्ग के हैं। जिसके विषय में सूचना/संस्तुति प्रस्तुत करें।
9. पृष्ठ संख्या-36,37,38 एवं 39 पर संलग्न प्रमाण पत्र संबंधित वनाधिकारी द्वारा पूर्ण किये जाने होते हैं न कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा।
10. पृष्ठ-66 पर संलग्न जिलाधिकारी, इटावा का वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। इसे निर्धारित प्रपत्र में संलग्नकों के साथ प्रस्तुत किया जाए।
11. पृष्ठ-72 एवं 73 पर संलग्न डिजीटल मानचित्र अपूर्ण है।
12. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल को डिजीटल मानचित्र/गूगल मानचित्र पर सभी बिन्दुओं को दर्शाते हुए अक्षांश एवं देशान्तर के साथ प्रस्तुत करें। प्रस्ताव में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का डिजीटल मानचित्र (.shp file) में दर्शाते हुए नहीं प्रस्तुत किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव (वन), वन अनुभाग, बापू भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा, उ0प्र0
4. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इटावा, उ0 प्र0।
5. श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।